

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

वलवन्त

रामस्वरूप झाडी

दावा बाबत :- 88.R+ Act

मुकदमा नम्बर :- 45/2023

निर्णय दिनांक :- 23.05.23

वादी की ओर से वकील योगेश कुमार शर्मा की व प्रतिवादी सं0.1.रा.8 की ओर से वकील श्री राधेश्याम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.05.23

को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्री श्रीमती गजरा के खाला सं0 34/34 के लम्बा

सं0 148/1 व 285 की कुल 2.377 है वारानी कृषि शक्ति उतिवादी

सं0 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस वाद श्रमि

में उतिवादी सं0 1 रामस्वरूप का नाम कलमामन निपट जाकर वादी

वलवन्त, उतिवादी सं0 2 सागरमल, उतिवादी सं0 3 सुन्दर उतिवादी सं0

4 राजीन्द्र, उतिवादी सं0 5 सुरेश को बहिस्त करवाकर के

स्वातेदार काश्तकार घोषित किए जाते हैं। चूंकि उतिवादी सं0

1, 6 व 8 ने अपना एक हिस्सा वादी एवं उतिवादी सं0 2 व 5

के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। राजीनामा को खिी

का भाग पढ़ा जावे /

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुदा से जारी की गई।



शिविर प्रभारी

(शकुन्तला चौधरी) B.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा जिला हनुमानगढ़

070118